भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2926
बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीहरिकोटा में तटीय कटाव

†**2926. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:**

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को प्रभावित करने वाले तटीय अपरदन की सीमा की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रोइन के निर्माण सहित तटरेखा संरक्षण उपायों संबंधी अनुशंसाओं का संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी एसएचएआर), अंतरिक्ष विभाग, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले तटीय अपरदन की सीमा का आकलन किया है। एनसीसीआर ने फील्ड इन्वेस्टिगेशन और न्यूमेरिकल मॉडलिंग अध्ययनों की सहायता से मल्टी-टेंपोरल सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके विस्तृत तटरेखा परिवर्तन विश्लेषण किया है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि श्रीहरिकोटा (एसएचएआर) द्वीप का उत्तरी भाग पिछले दो दशकों से तटीय कटाव का सामना कर रहा है और वर्ष 1965-2018 की अवधि के दौरान लगभग 0.68 वर्ग किमी समुद्र तटीय क्षेत्र का कटाव हो चुका है। वैज्ञानिक जांचों के आधार पर, एनसीसीआर ने लॉन्गीट्यूडिनल और ट्रांजिशनल ग्रोइन को शामिल करते हुए उपयुक्त तटरेखा सुरक्षा उपाय सुझाए और एसडीएससी एसएआर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की।

(ख) एवं (ग) जी हाँ। एसडीएससी एसएचएआर, अंतरिक्ष विभाग ने निर्माण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) जैसे संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त कर ली है।
